

## विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	शहरी विकास विभाग
प्रश्न संख्या तारांकित	:	5304
उत्तर की तिथि	:	12.08.2022
विषय	:	उठाऊ पेयजल योजना।
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री रोहित ठाकुर(जुब्बल-कोटखाई)
सम्बन्धित मंत्री	:	शहरी विकास मन्त्री।

प्रश्न	उत्तर
(क) शिमला शहर के लिए कोलडैम से उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है;	(क), (ख) व (ग) सूचना सभा पटल रख दी है।
(ख) इस योजना का वित्तपोषण किस संस्था द्वारा किया जाएगा और इसके लिए कितना अनुमानित व्यय होगा; और	
(ग) इस योजना से शिमला शहर को प्रतिदिन कितने लीटर पानी मिलेगा तथा इस योजना की अन्य क्या-क्या मुख्य विशेषताएं हैं; ब्यौरा दें?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 5304, जो श्री रोहित ठाकुर(जुब्बल-कोटखाई) द्वारा "उठाऊ पेयजल योजना" बारे पूछा गया है, का उत्तर:-

- (क) शिमला शहर के लिए कोलडैम से उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण की अद्यतन स्थिति निम्न है:-
- प्रस्तावित प्रोजेक्ट का टेंडर दिनांक 08.10.2020 को आबंटित किया जा चुका है तथा कार्य प्रगति पर है।
  - प्रस्तावित प्रोजेक्ट के प्रथम चरण शकरोड़ी में जल उपचार संयंत्र (WATER TREATMENT PLANT) के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
  - दवाड़ा में प्रस्तावित दूसरे चरण के लिए सड़क बनाने का कार्य भी प्रगति पर है जिसमें 50 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। इस सड़क की कुल लम्बाई 8 किलो मीटर है।
- (ख) इस योजना का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा Shimla Water Supply & Sewerage Service Delivery Reform Programmatic Development Policy Loan 1 (Loan No. 7918-IN) के अंतर्गत प्राप्त ऋण द्वारा किया जा रहा है। इसकी प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति रुपये 421.99 करोड़ की है।
- (ग) प्रस्तावित प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रतिदिन शिमला शहर को परियोजना के चालू होने से वर्ष 2035 तक 42 मिलियन लीटर प्रतिदिन तथा वर्ष 2050 तक 67 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-
- इस योजना का निर्माण कार्य 2025 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।
  - इस योजना से शिमला शहर व शिमला के साथ लगते क्षेत्र (शोधी, घणाहट्टी, व कुफरी) को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।
  - यह परियोजना वर्ष 2050 तक प्रतिदिन 4.13 लाख लोगों को व करीब एक लाख पर्यटकों को पेयजल उपलब्ध करवाएगी।
  - इस परियोजना से 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर पर पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।